की बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश। दिनांक 21-9-23 को पेश हो।

21-9-23 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित प्रकरण मे पूर्व मे प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई वकील प्रार्थी ने अपनी बहस मे निवेदन किया है कि मौजा जाडोल प.ह. सुवा नियां की आ.स. 157, रकबा 2.3100 है. भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजियात है। लेकिन सहवन से गुर्जर के बजाय गंवार अंकित हो गया है। जिसको गंवार के बजाय गुर्जर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जावे। प्रकरण मे वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई एवं प्रकरण मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया प्रकरण मे प्रस्तुत नकल जमांबन्दी सम्वत 2078 से 2078 मे खाता स. 31 आ.स. 157 रकबा 2.3100 है भूमि मे प्रार्थीगण का नाम क्र.स. 2 व 3 मे अंकित है। जिसमे जाति गंवार दर्ज अंकित है। एवं नकल जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 की आ.स. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 79, 85, 87, 124, 127, 128, 132, 136, 154, 155, 157 कुल किता 19 कुल रकबा 8.4900 है. भूमि मे मांगीलाल, नारायण, भूरा, ठम्मु पिता लाल जाति गुर्जर दर्ज अंकित है। जिससे ये सिद्ध होता है। वर्तमान जमाबन्दी मे प्रार्थीगण की जाति गंवार दर्ज कर दि गई क्योंकि पूर्व की जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 मे प्रार्थीगण की जाती गुर्जर दर्ज अंकित है। जिसे सुध[illegible] समझते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना [illegible] स्वीकार किया जाता है। [illegible] रकबा 2.3100 है. भूमि मे ठम्मा, मांगी[illegible] पिता लालू गंवार की बजाय ठम्मा, मांगीलाल पिता लालू गुर्जर किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति तहसीलदार बेगूं को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 15:32:04 IST
Reason: SelfAttested